रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 702] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 16, 2015/कार्तिक 25, 1937
No. 702] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 16, 2015/KARTIKA 25, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2015

सं. 109/2015-सीमाशुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 860(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 75, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 (1944 का 1) और वित्त अधिनियम 1994 (1994 का 32) की धारा 94 के साथ पठित धारा 93क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर प्रति अदायगी नियमावली, 1995, को पुनः संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती है, यथा—

1. (1) इन नियमों का नाम सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर प्रतिअदायगी (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2015 है।

(2) यह दिनांक 23 नवम्बर, 2015 से लागू होंगे।

2. सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर प्रतिअदायगी नियमावली 1995 में-

(i) नियम 3 में, उपनियम (1) में, दूसरे परंतुक में, खंड (v) विलोपित किया जाएगा;

(ii) नियम 6 में, उपनियम (4) विलोपित किया जाएगा;

(iii) नियम 7 में, -

(क) उपनियम (3) में, -

(क) "जहां कहीं निर्माता अथवा निर्यातक यह इच्छा व्यक्त करता है कि उसे अनंतिम रूप से प्रतिअदायगी प्रदान की जाए", शब्दों के स्थान पर "अनंतिम प्रति अदायगी धनराशि, जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, का भुगतान सीमाशुल्क के समुचित अधिकारी द्वारा किया जाएगा और जहां कहीं निर्माता अथवा निर्यातक यह इच्छा व्यक्त करता है कि उसे अनंतिम रूप से और भी प्रतिअदायगी प्रदान की जाए" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे,

(ख) "उस नियम के अंतर्गत किए गए आवेदन और अनंतिम प्रतिअदायगी का प्रदान" शब्दों के स्थान पर "पहले से ही अदा की गई अनंतिम प्रतिअदायगी के ब्यौरे सहित उस नियम के अंतर्गत किए गए आवेदन तथा और भी अनंतिम प्रतिअदायगी का प्रदान" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपनियम (5) विलोपित किया जाएगा।

[फा.सं. 609/94/2015-डीबीके]

थियोडोर टिग्गा, अवर सचिव

टिप्पणी: मूल नियम अधिसूचना सं. 39/1995-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 26 मई, 1995 के द्वारा, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उपखंड-(i) में सा.का.नि. 441 (अ), दिनांक 26 मई, 1995 के तहत प्रकाशित किए गए थे और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 20/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 10 फरवरी, 2015, सा.का.नि. 81 (अ), दिनांक 10 फरवरी, 2015 के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 2015

No. 109/2015-Customs (N.T)

G.S.R. 860(E).—In exercise of the powers conferred by section 75 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) and section 93A read with section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback Rules, 1995, namely:—

1. (1) These rules may be called the Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback (Second Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on 23rd November, 2015

2. In the Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback Rules, 1995,—

(i) in rule 3, in sub-rule (1), in the second proviso, clause (v) shall be omitted;

(ii) in rule 6, sub-rule (4) shall be omitted;

(iii) in rule 7,—

(a) in sub-rule (3),—

(A) for the words "Where the manufacturer or exporter desires that he may be granted drawback provisionally", the words "Provisional drawback amount, as may be specified by the Central Government, shall be paid by the proper officer of Customs and where

the manufacturer or exporter desires that he may be granted further drawback provisionally" shall be substituted,

(B) for the words "applications made under that rule and the grant of provisional drawback", the words "applications made under that rule along with details of provisional drawback already paid and the grant of further provisional drawback" shall be substituted;

(b) sub-rule (5) shall be omitted.

[F. No. 609/94/2015-DBK]

THEODORE TIGGA, Under Secy.

Note.—The principal rules were published vide notification number 39/1995-Customs (N.T.), dated 26th May, 1995, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), vide number G.S.R. 441 (E), dated the 26th May, 1995, and was last amended by notification number 20/2015-Custom (N.T.), dated the 10th February, 2015 *vide* number G.S.R. 81 (E), dated the 10th February, 2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.